पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के चयन एवं आपूर्ति सम्बन्धी दिशा–निर्देश में आंशिक संशोधन

1. प्रकाशक / पुस्तक वितरकों के द्वारा नमूने के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली पुस्तकें विज्ञापन की तिथि से 01 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
2. पंजीकरण हेतु प्रकाशकों / वितरकों के द्वारा पृथक से पंजीकरण नहीं किया जाना है। अपितु नमूना प्रति उपलब्ध कराये जाने की तिथि या नमूना प्रति प्राप्त होने की तिथि को पंजीकरण सम्बन्धित स्थल पर किया जायेगा।
3. प्रकाशक / पुस्तक वितरकों के द्वारा नमूना प्रति के साथ आवश्यक अभिलेख (प्रकाशक / पुस्तक वितरक होने की पुष्टि के लिए समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, केटलॉग, पंजीकरण संख्या आदि) भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
4. प्रकाशक / पुस्तक वितरकों के द्वारा पुस्तकें आयु वर्ग के आधार पर अर्थात कक्षा 1–5 (आयु वर्ग 6–10 वर्ष), कक्षा 6–8 (आयु वर्ग 11–13 वर्ष), कक्षा 9–12 (आयु वर्ग 14–18 वर्ष) के अनुसार पृथक–पृथक बण्डलों (Packets) के रूप में उपलब्ध कराये जाये।
5. प्रत्येक Category (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक) में 08 पुस्तकों से अधिक संख्या में पुस्तक नमूने कदापि प्राप्त नहीं किये जायेंगे।
6. विज्ञप्ति में उल्लेख की गयी कक्षा स्तरवार धनराशि कटौती (Discount) के पश्चात है तथा कटौती की धनराशि के अन्तर्गत ही चयनित पुस्तकों को विद्यालयों तक पहुंचाने का व्यय सम्मिलित होगा।
7. प्रकाशक / पुस्तक वितरकों के द्वारा पुस्तक नमूनों के साथ सम्बन्धित प्रकाशक का 2x2" साइज का एक टिकाऊ बैनर या पोस्टर भी उपलब्ध कराना होगा।

अन्य दिशा–निर्देश एवं शर्ते पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।

(बंशीधर तिवारी)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

Press Note/2023-24/Lib.